ALLOCATION OF FUNDS FOR IRRIGATION PROJECTS IN GUJARAT

3494. SHRI RAMSINH RATHWA : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that less allocation of funds has been made by World Bank and other Foreign Institutions as compared to the years 1989-90 and 1990-91 for the irrigation projects in Gujarat which adversely effected the irrigation projects in the State :

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what are the project-wise details of the progress made in the various on-going irrigation projects in Gujarat ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) No, Sir. During 1989-90 and 1990-91 an amount of US $ 162.266 million was disbursed to Government of Gujarat for externally aided irrigation projects whereas, during 1991-92 and 1992-93, the disbursement amount was of US $ 225.687 million.

(b) Does not arise.

(c) In Gujarat, there is only one externally aided on-going irrigation project viz. Gujarat Medium Irrigation Project on which cumulative disbursement uptil end of October, 1993 is US $ 163.156 million.

महिलाओं के जीवन स्तर का उल्लंघन

3495. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनंदन जैन** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कुप्रथाओं की शिकार महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और समाज में उन्हें संमानजनक स्थान दिलाने के लिये अब तक क्या कदम उठाए गए हैं :

(ख) क्या यह सच है कि आदिवासी महिलाओं और पहाड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को अभी भी सभ्य जीवन के लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है;

(ग) इन शोषित महिलाओं को अपनी आजीविका कमाने के सक्षम बनाने के उद्देश्य से उनके लिए स्वरोजगार के साधन जुटाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गये कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी : (क) सरकार ने महिलाओं के विकास हेतु एक बहु-दृष्टिकोणीय नीति अपनाई है जिसमें आय सृजन जैसे कि नोरिक योजना, स्टेप (रोजगार कार्यक्रम को समर्थन) तथा सामाजार्थिक कार्यक्रम अधिनियमन, शिक्षा, चेतना सृजन, कानूनी साक्षरता परामर्श, कानूनी सहायता तथा स्वैच्छिक संगठनों को समर्थन शामिल है । सरकार ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की भी स्थापना की है ताकि महिलाओं को प्रदान किये गए संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और मानिटरिंग किया जा सके। हाल ही में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई ताकि महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा प्रदान करते हुए उनकी सहायता की जा सके ।

(ख) जबकि निर्धन महिलाएं विशेषकर पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों की महिलाएं विभिन्न प्रकार की वंचनाओं से पीड़ित होती हैं, सरकार उपयुक्त के अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न उपाय कर रही है ।

(ग) से (ङ) महिला तथा बाल विकास विभाग प्रशिक्षण सहभाग सृजक एकको (नोराद) की स्थापना संबंधी कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं रोजगार समर्थन, जिसमें महिलाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, सामाजार्थिक कार्यक्रम और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार निवारण हेतु शिक्षण कार्य जिसके तहत समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को